कोड़ा सरकार का एक वर्ष
झारखंड के विनाश का वर्ष

कांग्रेस, राजद एवं झामुमो समर्थित
भ्रष्ट, निकम्मी एवं विकास विरोधी
मधु कोड़ा सरकार
के खिलाफ

आरोप पत्र

भारतीय जनता पार्टी
झारखंड प्रदेश

महामहिम राज्यपाल महोदय,

15 नवम्बर 2000 के दिन अलग झारखंड राज्य बना तो विरासत में इसे जर्जर अर्थव्यवस्था, कर्ज का बोझ, ध्वस्त आधारभूत संरचना, भ्रष्ट कार्यसंस्कृति, बदहाल औद्योगिक ढांचा, चौपट कृषि व्यवस्था, अराजक वातावरण, उग्रवाद, संगठित अपराध, तनावग्रस्त सामाजिक ढांचा, अस्त-व्यस्त कानून व्यवस्था यानी समस्याओं का एक दलदल मिला था जिससे राज्य को निकालकर आगे बढ़ाने की कठिन चुनौती राज्य की पहली सरकार के सामने थी ।

भाजपा के नेतृत्व में गठित राज्य की पहली राजग सरकार ने इसका समझदारी से सामना किया। विकास की दूरदृष्टि के साथ दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार किया । कई वर्षो से बिना खर्च हुए पड़ी धनराशि को सड़क निर्माण में लगाया, प्रदेश मुख्यालय से जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय और वहाँ से पंचायतों को जोड़ने का कार्यक्रम चलाया। राज्य में पुल-पुलिया निर्माण का सघन अभियान चलाया। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का कोशिश किया, उग्रवाद के प्रति आक्रामक नीति अख्तियार किया, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्धियों के दर्जनों बंकरों को ध्वस्त किया। औद्योगिक पूंजीनिवेश का सिलसिला आरम्भ किया, क्रमिक विकास का संस्थागत ढांचा खड़ा करना शुरू किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नियम बनाए, योजना एवं विकास मद में व्यय बढ़ाया, विरासत में मिली ऋणात्मक विकास दर को 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर लाने में सफलता हासिल किया । पाँच वर्षो के अल्पकाल में राष्ट्रीय मानचित्र पर झारखंड को प्रतिष्ठित किया। कमजोर वर्गो के लिए कल्याण कार्यक्रम चलाया और उन्हें मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया । नतीजा हुआ कि राज्य बहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होने लगा ।

जब विकास की राह पर झारखंड तेज रफ्तार पकड़ रहा था और शासन-प्रशासन में निहित स्वार्थी तत्वों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा रहा था तो एक साजिश के तहत कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्दलियों की अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं को हवा दिया और उन्हें साथ लेकर प्रगतिशील और विकासोन्मुख अर्जुन मुंडा सरकार को गिरा दिया । निहित स्वार्थो की बलिवेदी पर जनहित और राज्यहित का बलिदान हो गया । राज्य के विकास का सपना चकनाचूर हो गया ।

महामहिम जी, उसके बाद राज्य में जो सरकार बनी है उसके काले कारनामे किसी से छुपे

हुए नहीं हैं । इस सरकार के बने एक वर्ष से ज्यादा हो गया । इस अवधि में इस सरकार में भ्रष्टाचार, अनियमितता, घोटालों, निरंकुशता के रोज नये रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। जिस सरकार के बारह मंत्रियों में नौ मंत्री निर्दलीय हों और शेष तीन मंत्री दलाल और राज्यहित की सौदेबाजी करने वाले राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि हों उससे बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती । इस तरह की गैरजिम्मेवार सरकार राज्य पर थोपने के लिए कांग्रेस, राजद, झामुमो मुख्य रूप से दोषी हैं जो यूपीए के घटक दल हैं । यूपीए समर्थक वामपंथी दल भी इसमें बराबर के भागीदार हैं । निर्दलियों को मुखौटा बनाकर कांग्रेस, राजद, झामुमो और वामपंथी अपना निहित स्वार्थ साधने में लगे हैं । इन्होंने झारखंड को अपनी जागीर बना लिया है और सरकारी सम्पत्ति की लूट का खुला छूट दे दिया है । लूट में कोई किसी से कम नहीं है । सभी एक दूसरे से बढ़ कर हैं ।

यूपीए सरकार का प्रमुख घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक इतिहास आर्थिक, भ्रष्टाचार, दलाली और शोषण का रहा है । इन लोगों ने हमेशा जनभावनाओं की सौदेबाजी किया है । इतिहास गवाह है, इनके कुकृत्यों का । श्री नरसिंह राव की अल्पमत सरकार का समर्थन करने की एवज में इन्होंने अलग झारखंड राज्य नहीं मांगा बल्कि 3 करोड़ रुपया मांगा और अपने को बेच दिया । राज्यहित के साथ सौदेबाजी इनका मूल चरित्र रहा है । 17 विधायकों के इस दल के उप मुख्य मंत्री सहित तीन मंत्री सरकार में शामिल हैं । सभी के उपर आये दिन समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की खबरें छपती रहती हैं । 15 माह के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और घपलों-घोटालों के सिवाय कोई भी ऐसा कार्य इन्होंने नहीं किया है, जिसका उल्लेख किया जा सके । हाँ, इस दल के कार्यकर्ताओं ने राज्य की कार्य संस्कृति को नष्ट करने का पुरजोर प्रयास अवश्य किया है । राज्य गठन के बाद राजग काल में स्थापित कोहिनूर उद्योग को स्वयं सता में बैठे झामुमो के नेता उखाड़ फेंकने में लगे हैं । न केवल सरकार में शामिल झामुमो के मंत्री बल्कि इस पार्टी के नेता भी असंवैधानिक सत्ता का केन्द्र बन कर सरकारी मशीनरी को नियंत्रित कर रहे हैं ।

यूपीए का दूसरा प्रमुख घटक कांग्रेस है, जिसके लोग बौने और कठपुतली मुख्यमंत्री के उपर दबाव बनाकर हर गलत कार्य को अंजाम दे रहे हैं । इनके नेताओं की आये दिन की टिप्पणियां इस बात का गवाह हैं कि राज्य में सरकार नाम की चीज नहीं है और न ही इस सरकार से जनहित का कोई सरोकार है । सरकार में शामिल नहीं होने के बावजूद कांग्रेस के नेता 'दबाव बनाओ, काम कराओ' की पद्धति में विश्वास रखते हैं । इन्हें जनहित से कोई वास्ता नहीं है । ये लोग

रोज मंथन करते हैं, मुख्य मंत्री को धमकाते हैं, घमासान मचाते हैं, बोर्ड-निगम के बंदरबांट का होहल्ला मचाते हैं, दिल्ली के रिमोट से सरकार चलाते हैं, पर झारखंड की तीन करोड़ जनता के हित में कोई कदम नहीं उठाते । उन्हें ध्वस्त विधि-व्यवस्था, विनष्ट ढांचागत स्थिति, मंत्रियों विशेषकर निर्दलियों के भ्रष्टाचार का नंगा नाच दिखाई नहीं देता । बात-बात में झगड़ा, सरकार के कुकृत्य, जनता की तबाही, विकास योजनाओं की दुर्गति, संसाधनों की लूट और अंधाधुंध दुरुपयोग की इन्हें चिंता नहीं । ये सरकार पर रोज वार करते हैं, रोज अपना स्वार्थ साधते हैं और मजा लेते हैं । कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केन्द्रीय नेता, यहाँ तक कि प्रधान मंत्री तक झारखंड की 15 माह में हुई दुर्दशा पर चिंता प्रकट करते हैं, पर साझे की इस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को राज्य लूटने की खुली छूट दिये हुए हैं । केन्द्र में इनकी सरकार है पर सरकार को रोज अल्टीमेटम देने वाले कांग्रेस के राज्य और केन्द्रीय स्तर के नेताओं ने राज्य को केन्द्रीय सहायता दिलाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है । इस प्रकार कांग्रेस प्रत्यक्ष सूत्रधार बन कर राज्य को कंगाल बनाने पर तुली हुई है । शिकायतें उपर जाती है, झारखंड के कांग्रेसी ताल ठोकते दिल्ली दौरा करते हैं, पर आलाकमान की संतुष्टि के कोड़े से उन्हें खदेड़ दिया जाता है ।

महोदय, युपीए सरकार का तीसरा घटक दल राष्ट्रीय जनता दल भी सरकार को बाहर से समर्थन दे रहा है । यह दल मूलतः अलग झारखंड राज्य गठन का विरोधी रहा है और इसके नेता अपनी लाश पर झारखंड बनने की धमकी देते रहे हैं। इनके शीर्ष नेताओं ने राज्य गठन का पुरजोर विरोध किया था । 1990 से झारखंड बनने के बीच के दस वर्षों में ये लोग बेखौफ होकर राज्य के अकूत संसाधनों को लूटने का काम किया और निवेश, औद्योगिक क्रांति, शैक्षणिक परिवेश, कृषि-उद्योग विकास, पर्यटन आदि विकास की गतिविधियों को ऋणात्मक दिशा में ले गये । इन्हें झारखंड के विकास से क्या लेना-देना । इन्हें केवल संसाधनों को लूटने के लिए एक ..... सरकार की साझेदारी चाहिए । परिणाम है, सरकार में बाहर से समर्थन देते हुए 'राजद नेता' सत्ता पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव बनाये हुए हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं । इनके सामने न तो विकास की कोई रूप-रेखा है और न ही विकास संरचना का कोई मॉडल । इनकी सोच सीमित क्षेत्रवाद के तहत एकाकी है और वह है, निहित स्वार्थ । राजद के राज्य स्तरीय नेता यदा-कदा प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार पर आरोप लगाते हैं, पर इनका शीर्ष नेतृत्व साझे की मलाई मार रहा है और अपने रिश्तेदारों के लिए खनन पट्टा लेने के लिए दबाव डाल रहा है । राजद के सभी सात विधायक आये दिन सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, ब्यूरोक्रेसी पर आरोप लगाते हैं, पर कोई कारगर कदम उठे, ऐसा कोई भी प्रयास इनकी तरफ से नहीं होता है ।

शेष मंत्रियों की तो बात ही निराली है । 12 सदस्यों के मंत्रिमंडल में शेष 9 मंत्री निर्दलीय

हैं या अपने दल के इकलौता विधायक हैं । इनमें से आधे पर दल-बदल के आरोप में सदस्यता समाप्त होने की तलवार लटकी हुई है । दल-बदल के ये मामले राजनीतिक सौदेबाजी के तहत खटाई में पड़े हुए हैं । इन बेलगाम मंत्रियों के उपर कमान कसने में 'बेचारा मुख्य मंत्री' सक्षम नहीं है । जो स्वयं भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबा हुआ हो, वह भला अन्य पर कैसे लगाम लगा सकता है । इस प्रकार राज्य के ये 9 तानाशाह बेखौफ लूट रहे हैं तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक गुंडागर्दी के नवीनतम रिकॉर्ड बना रहे हैं । इनके काले-कारनामे पूरे देश में मशहूर हो गये हैं । ये झारखंड की छवि धूमिल कर रहे हैं ।

झामुमो, कांग्रेस, राजद के तिपाये पर टिकी श्री मधु कोड़ा की निर्दलीय सरकार के सभी पाये बारी-बारी से खफा होते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाते हैं, पर अगले ही दिन इनकी नाराजगी काफूर हो जाती है, जो स्वयं में गंभीर जांच का विषय है । ये घटनायें पर्दे के पीछे के सौदेबाजी को उजागर करती हैं । दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है कि एक-एक तबादले, पदस्थापन पर घटक दलों को खुश करना होता है और मंत्रियों को संतुष्ट करना पड़ता है ।

मधु कोड़ा सरकार की पालकी ढोने वाले ये राजनीतिक दल राज्य की पीड़ा को नहीं देखते । पालकी ढोने वाले यह भी मानते हैं कि कोड़ा सरकार की अकर्मन्यता, अपयश और सरकार की अस्तित्वहीनता के बढ़ते बोझ के वजन से झारखंड भले ही दबा जा रहा है, पर इन्हें भी लूट और भ्रष्टाचार में बराबर का हिस्सा मिल रहा है । निर्दलीय मुख्य मंत्री के पास खोने के लिए कोई राजनीतिक पूंजी नहीं है । अत: उन्होंने राज्य को ही दांव पर लगा दिया है । बेलगाम स्वच्छंद मंत्रियों पर कोई कमान कसने वाला नहीं है । राज्य की जनता सरकार के कुकृत्यों से ठगा हुआ महसूस कर रही है ।

महामहिम जी, निहित स्वार्थी तत्वों का यह समूह राज्यहित को मरघट की ओर ले जा रहा है । इस सरकार में बारह मंत्री हैं । मुख्य मंत्री सहित सभी मंत्रियों ने अपने विभागों को चारागाह बना दिया है। राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल ये निजी संपति के रूप में कर रहे हैं । अधीनस्थ विभाग इनकी जागीर बन गये हैं । नियम-कानून संविधान के प्रावधानों से इन्हें कोई मतलब नहीं है । जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से वसूले गये टैक्स को ऐश-मौज में उड़ाया जा रहा है । मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री एंव अन्य मंत्रियों के जो काले कारनामे जो अभी तक हमारी जानकारी में आये हैं उन्हें हम आपके समक्ष संक्षेप में रखना चाहते हैं ।

मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कारनामे

सत्ता की नापाक साझेदारी के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन मधु कोड़ा घटक दलों की निहित स्वार्थी, भ्रष्ट एवं अवसरवादी राजनीतिक परिणति हैं । न तो इनके पास राज्य की चुनौतियों से जुझने के लिए संकल्प शक्ति है और न ही कोई दृष्टि । अगर कोई इनका एजेंडा है तो वह है विनोद सिन्हा सदृश माफियाओं को मुखौटा बना कर राज्य के संसाधनों की लूट करना। मुख्य मंत्री के पास गृह, कार्मिक, पथ, उर्जा, खान सहित जो लगभग डेढ़ दर्जन विभाग हैं, उनकी समीक्षा की जाये तो स्पष्ट होगा कि विकास की गाड़ी आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर धकेली जा रही है । दूसरी ओर सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है ।

राज्य मंत्रिपरिषद में न तो सामूहिक जिम्मेवारी का बोध है और न ही पारस्परिक समन्वय है । मंत्रिपरिषद में मुख्य मंत्री के अलावा ग्यारह मंत्री नहीं अपितु ग्यारह सुपर मुख्यमंत्री हैं जो झारखंड का चरित्र हनन कर रहे हैं । यदि हम मीडिया में प्रकाशित मुख्यमंत्रियों के ग्रेडिंग को देखें तो जहाँ उड़ीसा और बिहार के मुख्यमंत्री पहले और दूसरे स्थान पर है, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री उन्नीसवें पायेदान पर लटक रहे हैं । इनका सारा समय, सारी उर्जा दिल्ली से लेकर राज्य तक के आकाओं को खुश करने में ही समाप्त हो जाती है । फिसड्डी मुख्यमंत्री का परिणाम राज्य भोगने को बाध्य है । इनके आदेश मंत्रालयों में धूल फांकते हैं तो मंत्री उनकी खिल्ली उड़ाते हैं । इनके लिए नियमों से खेलना आम बात है।

मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने घोषणा की थी कि लम्बित पंचायत चुनाव इनकी सरकार शीघ्र करायेगी । परंतु अब तक न तो पंचायतों के चुनाव हुए हैं और न ही नगर निकायों के । पूर्ववर्ती राजग सरकार ने नियम-कानून में आवश्यक संशोधन कर पंचायत और नगर निकाय चुनाव के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था । परंतु यह सरकार जानबूझ कर इसमें रुचि नहीं ले रही है और चुनाव कराने का कोई प्रयास नहीं कर रही है ।

ये और इनके मंत्री साल के बारहों महीने **ट्रांसफर-पोस्टिंग** का उद्योग चलाते हैं । पुलिस अधीक्षकों की तैनाती में भी कैडर रुल का पालन नहीं होता और न ही सेवा इतिहास देखा जाता है । थाने पाँच से दस लाख में बेचे जाते हैं, तो सभी विभागों के स्थानांतरण-पदस्थापन के लिए घुस के रेट अखबारों में छपते हैं । थानों के आधुनिकीकरण के पूर्ववर्ती राजग सरकार के प्रयास धूल फांक रहे हैं । दूसरी ओर नियंत्रणविहीन पुलिस प्रशासन अपना सामान्य दायित्व भी पूरा नहीं कर पा रहा है । हर काम कमीशन और हिस्सेदारी का मोहताज है । ईमानदार एवं कर्मठ

पदाधिकारियों को शंट किया जा रहा है । उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी प्रभारी पुलिस पदाधिकारियों के भरोसे काम चलाया जा रहा है । इनके कार्यकाल में प्रशासन का सर्वाधिक राजनीतिकरण हुआ है जिसका परिणाम है कि कनीय अफसर अपने वरीय पदाधिकारियों का आदेश नहीं मानते । कहीं-कहीं तो लाचार पुलिस अपराधकर्मियों के इशारे पर काम करती है ।

मुख्यमंत्री के अधीन **प्रशासनिक सुधार विभाग** वास्तव में प्रशासनिक बिगाड़ विभाग बन गया है । अधिकतम विभागों में सचिवों की स्थिति घरेलू नौकरों से भी बदतर हो गई है । मंत्रियों के भ्रष्ट कारनामों को चुपचाप बर्दास्त करने या आंखें मूंदे रहने या सहयोग करने के लिए इन्हें विवश किया जा रहा है । राज्य प्रशासनिक अधिकारियों को समयबद्ध प्रोन्नति से वंचित किया जा रहा है । ईमानदारी छवि के अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के वरीय एवं कनीय अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणी के अभियंताओं के स्थानांतरण और पदस्थापन को सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने उद्योग बना दिया है । विभागीय स्थापना समिति बेमानी हो गई हैं । इसके निर्णयों को मंत्री अपने स्तर से बदल दे रहे हैं । हर मंत्री अपनी पसंद का सचिव और अन्य अधिकारी रखना चाहता है, भले ही वह पद की अर्हता और आवश्यक योग्यता नहीं रखता हो । इसका असर शासन-प्रशासन के सभी अंगों पर पड़ रहा है और इससे विकास प्रभावित हो रहा है । एक भ्रष्ट कार्य संस्कृति का सृजन इस माध्यम से सरकारी तंत्र में हुआ है । 365 दिनों में औसतन करीब 400 से अधिक विभिन्न श्रेणी के प्रशासनिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण हो रहा है । यानी प्रत्येक दिन एक से अधिक अधिकारी बदले जा रहे हैं । उदाहरण के तौर पर :

- 31.10.2006 को 27 सीनियर आई.ए.एस. अधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन हुआ जिनमें मुख्यत: सचिव एवं आयुक्त शामिल थे ।
- 22.11.2006 को पुन: 15 आई.ए.एस. अधिकारियों का स्थानांतरण व पदस्थापन हुआ ।
- 23.2.2006 को 6 आईएएस तथा 23 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन हुआ ।
- 12.1.2007 को सचिव स्तर के एक दर्जन पदाधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन हुआ ।
- 30.01.2007 को आई.ए.एस. पदाधिकारियों का स्थानांतरण हुआ ।
- 6 दिसम्बर 2006 आई.पी.एस. तथा झारखंड पुलिस के 32 अफसरों का तबादला हुआ । इसके

अलावा पुलिस सेवा में 29 सितम्बर 2007 को 2, 3 नवम्बर 2006 को 2, 7 दिसम्बर 2006 को 42, 8 दिसम्बर 2006 को 8, 13 फरवरी 2007 को 19 एवं 14 फरवरी 2007 को 15 अधिकारी बदले गये ।

- 24.4.2007 को 20 आई.ए.एस., 2 भारतीय वन सेवा, 33 राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन हुआ ।

- 12.07.2007 को तीन जिलों के उपायुक्तों को बदल कर मुख्यमंत्री ने सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल, स्पीकर आलमगीर आलम, सांसद फुरकान अंसारी और विधायक सुफल मरांडी की मांग पूरी की ।

- 18.7.2007 को आई.ए.एस., आई.पी.एस. पदाधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन हुआ । यूपीए सांसदों एवं विधायकों के दबाव में सरकार ने घुटने टेके । स्थानीय सांसद का नाजायज दबाव नहीं मानने के कारण बोकारो के कर्मठ उपायुक्त को हटाया ।

- 30.10.2007 को गिरिडीह, सिमडेगा व गढ़वा के उपायुक्तों का स्थानान्तरण हुआ ।

- वित्तीय एवं आपराधिक मामलों में संलिप्त अभियंताओं/तदर्थ नियुक्त अभियंताओं को कार्यालय आदेश के द्वारा आर.ई.ओ. विशेष प्रमंडल और पंचायती राज विभाग में वरीय पदों पर नियुक्त किया जा रहा है ।

पूंजी निवेश के क्षेत्र में इनके कार्यकाल में पूर्व के पौने तीन लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश विषयक करार पत्रों को कूड़ादान में डाल दिया गया है । पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए एम.ओ.यू. पर आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है । नतीजतन पूंजी निवेश का प्रवाह रूक गया है । इन्होंने सत्ता संभालते ही 15 दिनों में पुनर्वास नीति बना देने का दावा किया था । परंतु आज तक पुनर्वास नीति पर प्रश्न-चिह्न लगा हुआ है, जबकि इसका प्रारूप पूर्ववर्ती राजग सरकार में तैयार हो गया था । सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि अभी तक राजग सरकार द्वारा जारी उद्योग नीति सहित तमाम नीतियों पर कोड़ा सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है । उत्पाद नीति, वन नीति, कर-नीति, राजस्व नीति सहित अनेक नीतिमूलक विषयों को मुख्यमंत्री ने खटाई में डाल रखा है ।

मुख्यमंत्री के अधीनस्थ ढांचागत विभागों की स्थिति यह है कि सरकार ने स्वयं **ग्रामीण विद्युतीकरण के संदर्भ में विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित किया कि ग्रामीण विद्युतीकरण निर्धारित समय सीमा के अधीन होना संभव नहीं है ।** अत: उपभोक्ता अपनी प्रतिभूति वापस

ले सकते हैं । राजग सरकार ने एन.टी.पी.सी., डी.वी.सी. तथा राज्य विद्युत बोर्ड को क्रमशः आठ-आठ और छः जिलों के ग्रामीण विद्युतीकरण की जिम्मेवारी सौंपा था । कमीशनखोरी का आलम यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा राशि की उपलब्धता के बावजूद विद्युतीकरण की योजना ठप है । विद्युत तापगृहों के निर्माण की केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और निजी उद्योग समूहों की योजना धरी की धरी रह गई है । देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन और खपत दोनों ही मामलों में झारखंड सर्वाधिक पिछड़ा राज्य बन गया है ।

प्राईवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की जो पहल राजग सरकार के समय से चल रही थी, उस पर इन्होंने पानी फेर दिया है । बिजली के अभाव में स्थापित उद्योगों एवं स्थापित हो रहे उद्योगों के सामने विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है । दुर्भाग्य तो यह है कि परंपरागत उर्जा स्रोत और वैकल्पिक उर्जा स्रोत, जो छोटे-छोटे पैमानों पर संभावित है, के लिए भी सरकार में इच्छाशक्ति नहीं है । राज्य सरकार की इससे बड़ी निंदा क्या हो सकती है कि केन्द्र सरकार ने राज्य की विद्युत आपूर्ति मांग को घटा दिया है । इस वर्ष उर्जा के क्षेत्र में सरकार ने आवंटित राशि का मात्र 0.02 प्रतिशत ही खर्च किया है । उर्जा सदृश अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना के प्रति सरकार का रवैया इससे उजागर होता है ।

मुख्यमंत्री का एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग, जिसका सीधा संबंध राज्य की जीवन-रेखा से है, **पथ निर्माण विभाग है** । इस विभाग के बारे में व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय को भी आक्रोशपूर्ण टिप्पणी करनी पड़ी है कि झारखंड में सड़क ढूंढ़ना एक दुश्कर कार्य है । यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि श्री मधु कोड़ा अपने चुनाव क्षेत्र की एक सड़क को मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे हैं । मगर हाटगम्हरिया-नोवामुंडी-बराईबुरु नामक इस सड़क की हालत पहले से भी बदतर हो गई है । तीन बार टेंडर होने और करीब 150 करोड़ की राशि स्वीकृत होने तथा धूमधाम से इसका शिलान्यास हो जाने के बाद भी इस सड़क पर एक इंच निर्माण का कार्य नहीं हुआ । अगर हम पथ निर्माण विभाग के आवंटन और व्यय पर एक नजर डालें तो मुख्यमंत्री की अकर्मण्यता खुल कर सामने आ जाती है । वर्ष 2006-07 में पथ निर्माण विभाग के लिए 524 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, जिसमें से मात्र 145 करोड़ ही खर्च हो सका। 2007-08 में भी यह विभाग अब तक आवंटित करीब 784 करोड़ रुपया का मात्र 8.6 प्रतिशत यानी मात्र 68 करोड़ ही खर्च कर पाया है । नतीजा है कि राज्य के राष्ट्रीय उच्च पथों, राज्य पथों एवं जिला पथों की स्थिति जर्जर हो गई है । सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, यह कहना मुश्किल हो गया है । इन्होंने 1821 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की जगह केवल 209

किलोमीटर सड़क अर्थात् 11.48 प्रतिशत सड़क बनाने का काम किया है । वर्ष 2007 की प्रथम तिमाही में पूर्ण होने वाली सड़कों का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है । मुख्यमंत्री की अकर्मण्यता का दूसरा उदाहरण है कि 1200 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए मरम्मत मद में उपबंधित राशि केन्द्र सरकार के पास पड़ी हुई है । राज्य में 1678 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें से अगर जी.टी. रोड को छोड़ दें, तो शेष कोई भी सड़क परिवहन योग्य नहीं है ।

- एन.एच. का जायजा लेने आये केन्द्र सरकार के अधिकारी ए.डी.जी. इन्दु प्रकाश के अनुसार राज्य की 1678 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों में से केवल 194 किलोमीटर ही चलने लायक है।
- राजधानी राँची की सड़कें भी जर्जर स्थिति में है ।
- राँची-हजारीबाग सड़क माउण्टेन वैली जैसी हो गयी है ।
- राँची-टाटा-बहरागोड़ा (एन.एच. 33) सड़क गड्ढ़ों में तब्दील हो गई है ।
- पथ निर्माण विभाग के 524 करोड़ रुपये के बजट में से 379 करोड़ रुपये सरेंडर हुए हैं।
- राँची-मेदिनीनगर उच्च पथ के 80 किलोमीटर में 700 से अधिक गड्ढे हैं ।
- अनियमितता बरतने वाले अभियंताओं, ठेकेदारों को बचाने का खेल जारी है ।
- केन्द्रीय टीम ने सड़कों की बदहाल स्थिति का खुलासा किया है ।
- उच्च न्यायालय के बार-बार आदेश के बावजूद सड़कों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है ।
- मुख्य न्यायाधीश एम. करपगविनयगम एवं न्यायामूर्ति अमरेश्वर सहाय की अदालत ने पथ निर्माण सचिव की ओर से दायर शपथ पत्र पर असंतोष जाहिर किया है ।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत झारखंड में जहाँ सड़कों के निर्माण की गति ध ीमी है, वहीं उनकी गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है ।
- राँची में सड़कों को दुरुस्त करने के नाम पर 10 करोड़ रुपयों का खेल हुआ है । पहले बोल्डर बिछाया गया फिर उसे उखाड़ा गया ।
- उपायुक्तों को स्टेट हाइवे व नेशनल हाइवे का निरीक्षण कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश कुड़ेदान में जड़ा हुआ है ।

खान एवं भूतत्व विभाग भी मुख्यमंत्री के अधीन है । इस विभाग में 7 कम्पनियों को माईनिंग लीज देने की अनुशंसा मुख्यमंत्री ने की है । इनमें से 4 को सीधे माईनिंग लीज दिया है और 3 को प्रोस्पेक्टिंग लीज दिया है । टाटा स्टील, जिंदल साउथ-वेस्ट और एस्सार जैसी बड़ी कंपनियों को प्रोस्पेक्टिंग लीज मिला है जबकि भूषण स्टील, जिंदल स्टील एण्ड पावर, कोर मिनरल्स और होराईजन जैसी कम्पनियों को सीधे लीज देने की अनुशंसा की गई है । बड़ी कम्पनियों को प्रोस्पेक्टिंग और कोर मिनरल जैसे खनन ठेकेदार तथा लौह अयस्क निर्यात करने वाली कम्पनी को तथा होराईजन और भूषण स्टील जैसी छोटी कंपनी को लीज देने की अनुशंसा में बड़ा घोटाला छुपा हुआ है ।

- कोर मिनरल्स नामक कंपनी नोवामुंडी की ठकुरानी माइन्स में खनन ठेकेदार का काम करती है और लौह अयस्क का निर्यात करती है । इसके बगल में 3 लौह अयस्क क्रसर लगे हुये हैं जिनमें मुख्यमंत्री के साझेदार बिनोद सिंहा की हिस्सेदारी है । कोर मिनरल्स के व्यवसाय में भी इनकी साझेदारी है । यह कम्पनी खुलेआम पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों का उलंघन करती है । यह कम्पनी नियम विरूद्ध ओवर लोडिंग भी करती है । परंतु मुख्यमंत्री के संरक्षण के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है ।

- विधानसभा के पिछले सत्र में मुख्यमंत्री के दोस्त और व्यवसायिक साझेदार बिनोद सिन्हा का मामला छाया रहा है । प्रमाण सहित आरोपों के बावजूद और खनन मामलों में दलाली के ठोस सबूतों के बावजूद मुख्यमंत्री ने आज तक इस मामले में किसी भी प्रकार की जाँच का आदेश नहीं दिया है ।

- मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र नोवामुंडी, बड़ा जामदा, गुआ इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क क्रसर का व्यवसाय चल रहा है । ये क्रसर पर्यावरण अधिनियमों का खुला उलंघन कर रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री के संरक्षण के कारण सप्रमाण जाँच प्रतिवेदनों के बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है ।

- मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लौह अयस्क का अवैध खनन, लौह अयस्क तस्करी और निर्यात का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है । यह मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना संभव नहीं है ।

- लौह अयस्क क्रसर वाले यह बताने के लिए बाध्य नहीं हैं कि वे लौह अयस्क कहां से ला रहे हैं और क्रसिंग करने के बाद उसे कहां भेज रहे हैं । मुख्यमंत्री के दबाव में अधिकारी

ऐसा नियम बनाने में सफल नहीं हो रहे हैं जिससे यह जानकारी प्राप्त की जा सके । कारण कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में चलने वाले अवैध खनन से निकलने वाला लौह अयस्क का अवैध और काला धंधा क्रसर पर आकर सफेद धंधा में बदलता जा रहा है और राज्य की अकूत सम्पति विदेशों में निर्यात कर दी जा रही है ।

- खान विभाग ने लीज देने के लिये एक घंटे में 49 कम्पनियों की सुनवाई पूरी कर नया रिकार्ड बनाया है । अर्थात एक कम्पनी को एक से डेढ़ मिनट में अपना पक्ष रखने का समय दिया गया । मामला लौह अयस्क के सुरक्षित भंडार करमपदा का है । इसे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सुरक्षित रखा गया था । किसी खास कम्पनी को करमपदा माइंस देने के लिए यह कार्रवाई की गई । 15 फरवरी 2007 को तत्कालीन सचिव खान एवं भूतत्व ने करमपदा माइंस के लिए आवेदित 50 कम्पनियों की सुनवाई मात्र एक घंटे के भीतर कर दिया ।

इनके काले कारनामों की फेहरिस्त का यह तो एक अंश मात्र है। यदि इन सबकी जांच की जाये तो और भी अनेक काले कारनामें उजागर होंगे ।

महोदय, झारखंड में **विधि व्यवस्था** की स्थिति चरमरायी हुई है । राज्य गठन के पूर्व से ही यह क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित था । इसे कुछ लोग सत्ता प्रायोजित भी मानते थे । राजग सरकार ने उग्रवाद की चुनौती को प्राथमिकता देते हुए पहल कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निषेधात्मक कार्रवाई की । परिणाम हुआ कि छिटपुट उग्रवादियों के तमाम बंकर ध्वस्त हुए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए तथा कई पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे भी गये । परिणामस्वरूप अनेक उग्रवादियों ने सशस्त्र सरेंडर किया । परंतु जबसे निर्दलीय नियंत्रित यूपीए ने सत्ता संभाला है तबसे न केवल उग्रवाद बल्कि संगठित अपराध, गुंडागर्दी, बैंक डकैती, लूट एवं अन्य आपराधिक घटनायें अबाध गति से बढ़ रही है । जमशेदपुर के सांसद एवं झामुमो नेता श्री सुनील महतो, भाजपा के श्री बीर सिंह मुंडा, जमशेदपुर स्थित श्रीलेदर्स के मालिक आशिष डे, रांची के भाजपा नेता आनन्द कच्छप और श्री सुरेन्द्र राय सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के अनेक कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्याओं ने राज्य के समक्ष अपराधियों के बढ़ते हौसले तथा बेबस प्रशासन की छवि को ही इंगित किया है । हाल में पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी के युवा पुत्र सहित डेढ़ दर्जन निरपराधों को बेखौफ गोली से उड़ाये जाने की घटना ने झारखंड की विधि-व्यवस्था को नंगा कर दिया है। विगत 15 महीनों में हालात ऐसी रही कि अब लगभग सभी जिले उग्रवाद से आक्रांत है। जब राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम निर्धारित करने के उपरांत भी अपराधियों के भय से कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुँचते हैं तो सुदूर चौकियों एवं थानों पर पदस्थापित पुलिस बल से क्या उम्मीद की जा सकती है । अब

तो थानों में आपराधिक घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी पैरवी करनी पड़ती है । भ्रष्टाचार पर आधारित ट्रांसफर-पोस्टिंग ऐसे ही चलती रहेगी तो कभी भी विधि-व्यवस्था को नियंत्रित नहीं किया जा सकता ।

राजधानी में दिन दहाड़े बैंक डकैती, चलती कार में बलात्कार, आये दिन हत्या, नाबालिगों के साथ दुष्कर्म, नकली नोटों का व्यवसाय, व्यवसायियों पर कातिलाना हमला, उद्यमियों की हत्या इस बात को दर्शाता है कि राज्य में सरकार का अस्तित्व शेष नहीं है । वर्ष के प्रारंभ में घटित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया । इस साल के प्रथम चार महीने में ही आपराधिक घटनाओं के सारे रिकार्ड टूट गये । इस अवधि में राज्य में 547 हत्यायें, 160 डकैती, 260 लूट, 2111 चोरी की घटनायें दर्ज हुई । फिरौती के लिए 13 अपहरण तथा 113 उग्रवाद की घटनायें प्रकाश में आई । इतना ही नहीं 2006 के अंतिम तीन माह में जबसे इस सरकार ने सत्ता संभाला है 414 हत्यायें, 139 डकैती, 201 लूट, 19 अपहरण तथा 80 उग्रवाद से संबंधित घटनायें दर्ज की गई है । आलम यह है कि जहाँ आम जनता भ्रष्टाचार, घुसखोरी, लालफीताशाही से त्रस्त है वहीं उद्यमी एवं व्यवसायी राज्य से पलायन कर रहे हैं और पूंजीनिवेश करने वाले उद्यमी राज्य की ओर कदम बढ़ाने से कतरा रहे हैं । अब तो स्थिति यह हो गई है कि यहाँ के स्थापित उद्योग भी सत्ता संरक्षित गुंडागर्दी के चलते उजड़ने को बाध्य हैं । प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो गई है ।

महोदय, विधि-व्यवस्था की स्थिति भयावह है फिर भी संवेदनहीन एवं निकम्मी सरकार की इच्छाशक्ति जाग्रत नहीं होती और कमांडों-दर-कमांडों से घिरे मंत्री एवं सरकारी नुमाइंदे अपने दरवे में दुबके रहते हैं । हालात को भयावह मानते हुए भी राज्य के मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और अपनी गद्दी बचाने के लिए कदम-कदम पर समझौता कर रहे हैं । नतीजतन पूरा राज्य अपराधियों के हवाले है ।

योजना और विकास के मोर्चे पर तो यह सरकार अत्यंत फिसड्डी साबित हुई है । राजग सरकार ने वर्ष 2006-07 के लिए 6500 करोड़ रुपये का योजना उद्व्यय स्वीकृत किया था । यह सरकार 31 मार्च 2007 तक 3800 करोड़ रुपया ही खर्च कर सकी । 2700 करोड़ रुपया सरेंडर हो गया । चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अक्टूबर 2007 तक राज्य सरकार के ऐसे 7 विभाग हैं जिन्होंने अपने आवंटन में से शून्य राशि खर्च की है । 5 विभाग ऐसे हैं जिनका खर्च एक से दो प्रतिशत के बीच हुआ है । सभी विभागों को मिलाकर अब तक मात्र 21 प्रतिशत राशि ही खर्च हो सकी है । वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकृत 6676 करोड़ रुपये की योजना उद्व्यय में

से अब तक मात्र 1437 करोड़ रुपये ही खर्च हुये हैं । सरकार के अद्यतन आंकड़े बताते हैं कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ एवं परिवहन विभाग, खान विभाग, नगर विकास विभाग आदि जैसे महत्वपूर्ण विभागों में आवंटित राशि का शून्य से 10 प्रतिशत के बीच ही खर्च हुआ है । उर्जा विभाग में 0.02 प्रतिशत, स्वास्थ्य विभाग में 0.94 प्रतिशत, आवास विभाग में 0.00 प्रतिशत, पशुपालन विभाग में 1.89 प्रतिशत, सहकारिता विभाग में 0.64 प्रतिशत, वाणिज्यकर विभाग में 0.0 प्रतिशत, सांस्थिक वित्त विभाग में 1.57 प्रतिशत, खान विभाग में 1.33 प्रतिशत, योजना विभाग में 0.00 प्रतिशत, सूचना जनसम्पर्क विभाग में 1.67 प्रतिशत, राजस्व विभाग में 3.59 प्रतिशत, पंचायतीराज विभाग में 2.94 प्रतिशत, परिवहन विभाग में 2.37 प्रतिशत और नगर विकास विभाग में 0.00 प्रतिशत का व्यय चौकाने वाला है और विकास के मोर्चे पर राज्य सरकार का निकम्मापन उजागर कर रहा है ।

उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो के कारनामे

- सुधीर महतो, उप मुख्यमंत्री के साथ-साथ दो विभागों, उद्योग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री भी हैं । इनके कार्यकाल में वनों की कटाई बढ़ी है तथा वन क्षेत्र की सघनता कम हुई है ।

- परिपूरक वनीकरण के लिए उद्योगों एवं अन्य के द्वारा जमा धन राशि लाभुकों तक नहीं पहुँचने दी गई है ।

- राज्य के लिए जैव विविधता बोर्ड तथा वन्य जीव बोर्ड के गठन की जो प्रक्रिया राजग सरकार में आरंभ हुई थी, उसे स्थगित कर दिया गया है । जिसके कारण राज्य अरबों रुपयों की सहायता से वंचित है ।

- मनुष्य एवं वन्य जीवों के बीच संघर्ष, खास कर हाथियों द्वारा गांवों में घुसकर उत्पात मचाने की घटना के लिए वाइल्डलाइफ ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट तथा वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड के कार्यक्रमों को सरकार लागू नहीं कर रही है । फलस्वरूप हर साल गांवों में जानमाल की भारी क्षति हो रही है ।

- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में वानिकी तथा लातेहार पोलिटेकनिक में पर्यावरण संरक्षण की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए रोजगार सृजन की दिशा में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनायें स्थगित कर दी गई है ।

- लातेहार में लगा हुआ सोलभेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट तथा रस्सा बनाने वाला कारखाना वन विभाग की लापरवाही के कारण चालू नहीं हो पा रहा है ।

- लघु वन उपजों के लिए बाजार उपलब्ध कराने और इसमें लगे वनवासियों को आर्थिक लाभ पहुँचाने की पूववर्ती सरकार की योजनाओं को स्थगित कर दिया गया है ।

- राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंत्री के अनुचित हस्तक्षेप के कारण पंगु और शक्तिहीन बना हुआ है।

- जल एवं वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों को मंत्री का सीधा संरक्षण प्राप्त है । मंत्री के चुनाव क्षेत्र में भी दर्जनों उद्योग भीषण प्रदूषण फैला रहे हैं, परंतु मंत्री के दबाव में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन्हें छूट दे रखा है ।

- मंत्री के दबाव में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विगत 7 फरवरी को वैसे उद्योगों को मई 2007 तक चलने की अनुमति दे दी, जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाया था । आज तक इन उद्योगों में ऐसे उपकरण नहीं लगे हैं, परंतु उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के बदले उन्हें फरवरी 2008 तक प्रदूषण फैलाते रहने की छूट दे दी गई है ।

- मंत्री ''चोर को कहे चोरी करो तथा साहूकार को कहे जागते रहो'' की नीति पर काम कर रहे हैं । उद्योगों को प्रदूषण फैलाने की छूट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पंगु बनाये रखने के लिए इनके निर्देशों से इनका विभाग ''पर्यावरण संरक्षण के बदले पर्यावरण विनाशक एवं प्रदूषण नियंत्रण के बदले प्रदूषण बढ़ाओ'' विभाग बन गया है ।

- मंत्री द्वारा मॉरिशस ट्रेडफेयर में भाग लेने के नाम पर करीब 32 लाख रुपया की फिजूल खर्ची की गई है ।

- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में भाग लेने के नाम पर ताज होटल में दो दिन रहने, खाने और शराब पीने पर तीन लाख रुपया का अनावश्यक व्यय किया गया है जिसका भुगतान सरकारी खजाना से हुआ है ।

- सरकार के निकम्मेपन तथा औद्योगिकीकरण के प्रति अभिरूचि न होने के कारण राज्य में औद्योगिक विस्तार का माहौल ठहर सा गया है । पूर्ववर्ती राजग सरकार द्वारा राज्य में निवेश के लिए 64 कम्पनियों के साथ 2 लाख 57 हजार 486 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. हुये थे

पर वर्तमान सरकार द्वारा उदासीन रवैया अपनाने के कारण राज्य का औद्योगिक विकास शिथिल हो गया है ।

- राज्य में इंडस्ट्रीज फेसिलिटेशन एक्ट बनाने, लागू उद्योग नीति में समयानुकूल संशोधन करने, छोटे एवं मध्यम उद्योगों के लिए अलग निदेशालय बनाने, इंडस्ट्रीयल फैसिलिटेशन कौसिल का गठन करने में सरकार विफल रही है ।

- औद्योगिक विकास के लिए राजग सरकार द्वारा तैयार की गई विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को सरकार ने ढंढे बस्ते में डाल दिया है ।

- राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र, फूड-पार्क ऐपरेल-पार्क, राज्यहित वाले स्पेशल इकनोमिक जोन तथा एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने की राजग सरकार की पहल को वर्तमान सरकार ने रोक दिया है ।

- पलामू तथा संथाल परगना प्रमंडल को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है ।

- वर्तमान उद्योग नीति के अनुसार कैपिटल सब्सीडी, ब्याज सब्सीडी तथा क्वालिटि सब्सीडी का वितरण रोक दिया गया है और इनमें बाजार सहायता के प्रावधानों को स्थगित कर दिया गया है ।

उप मुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी के कारनामे

- वित्तीय प्रबंधन (बजट उपबंध) के समस्त मापदंडों को ध्वस्त कर दिया है ।

- वर्ष 2006-07 में योजना मद में लगभग 3000 करोड़ रुपया सरेंडर हुए ।

- वित्तीय वर्ष 2007-08 में अब तक बजट राशि का मात्र 20 प्रतिशत व्यय हुआ है ।

- वर्तमान वर्ष के बजट में आंतरिक संसाधन अभिवृद्धि के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय नहीं किया गया है ।

- विधान सभा में प्रस्तुत बजट में गलत आंकड़ों का समावेश किया गया है । विधान सभा से बजट पारित होने के बाद वित्त विभाग द्वारा इसमें संशोधन किया गया है और संशोधन से विधान सभा को अवगत नहीं कराने की वित्तीय अनियमितता की गई है । वित्त मंत्री के

विरुद्ध सदन को गुमराह करने के चलते विशेषाधिकार हनन की सूचना अब भी विधाान सभा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है ।

- बजट में विभिन्न विभागों के संदर्भ में जो घोषणायें की गई, उनमें 10 प्रतिशत का भी कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है । बजट में परिलक्षित 6676 करोड़ रुपया की योजना राशि के विरुद्ध इस माह तक मात्र 1437 करोड़ रुपया का ही आवंटन जारी किया गया है।

- बजट में परिलक्षित केन्द्रीय योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना मद में प्राप्त केन्द्रीय सहायता का मुश्किल से 10 प्रतिशत राशि अभी तक व्यय हो पाई है । कई विभागों में व्यय शून्य है ।

- राजकोषीय घाटा को रोकने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन हो रहा है । विधान सभा में प्रस्तुत अनुपूरक बजट में इस अधिनियम के प्रावधानों का समावेश नहीं किया गया है ।

- राज्य में वित्तीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बन चुका है, परंतु अभी तक वित्त नीति एवं प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में सरकार का कोई विजन नहीं है ।

- रिजर्व बैंक के स्पष्ट निदेर्शों के बावजूद साख-जमा अनुपात में वृद्धि करने की दिशा में वित्त मंत्री विफल रहे हैं ।

- राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते बैंकों से न्यूनतम घोषित राशि भी निर्गत नहीं हो पा रही है । राज्य में बैंकों की आय में तुलनात्मक दृष्टि से अधिकतम वृद्धि के बावजूद ऋण के रूप में बैंकों से निर्गत राशि लाभ प्राप्त कर सकने वाले लाभुकों को जैसे लघु एवं सीमांत कृषकों, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों, बेरोजगारों, लघु एवं कुटीर क्षेत्र के असंगठित उद्यमियों की संख्या बढ़ाने में सरकार विफल रही है ।

- राज्य के राजकोषीय घाटा में इस बीच अधिकतम वृद्धि के लक्षण स्पष्ट नजर आ रहे हैं।

- गरीबी उन्मूलन, रोजगार हेतु पलायन पर रोक, पुनर्वास, लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने तथा खनन से हो रहे पारिस्थितिकी असंतुलन को पाटने के लिए केन्द्र से विशेष सहायता पैकेज लेने में सरकार विफल रही है ।

- आंतरिक संसाधन संग्रहण में घोर भ्रष्टाचार के कारण वाणिज्यकर, उत्पाद, राजस्व, वन, परिवहन सहित राजस्व संग्रह करने वाले किसी भी विभाग में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में वित्त मंत्री विफल रहे हैं ।

- राज्य के अधिकांश विभागों यथा नगर विकास, पर्यटन, आवास, नागर विमानन, आपदा प्रबंधन आदि में अक्टूबर माह के अंत तक योजना मद में शून्य खर्च हुआ है ।

- वित्त विभाग पी.पी.पी. अर्थात् पब्लिक प्राइवेट पाठना..... के तहत लोकोपयोगी योजनाओं के सूत्रण में पूर्णतः असफल साबित हुआ है । वित्त प्रदायी संस्थाओं द्वारा भी निवेश को बल देने के लिए राज्य सरकार के पास कोई योजना नहीं है ।

- नाबार्ड, कपार्ट, हुडको, जीवन बीमा निगम सहित अन्याय बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से मूलभूत ढांचागत विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऋण तथा सहायता अनुदान प्राप्त करने में वित्त विभाग पूर्णतः विफल रहा है ।

- मार्च 2007 को एक अधिसूचना पारित कर वैट के प्रावधानों को पुनः सेल्स टैक्स की तरह जटिल कर देने से व्यापारियों वर्ग काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है ।

- योजना एवं बजट तथा वित्त प्रबंधन एवं कर संग्रहण के बीच तारतम्य बैठाने में वित्त मंत्री विफल रहे हैं ।

- दूसरी ओर सरकार ने अनुपूरक व्यय विवरणों द्वारा फिजुलखर्ची का द्वार खोल दिया है ।

- विश्व बैंक की रिर्पोट में राज्य में वित्तीय प्रबंधन में अराजकता के लिए विधायिका और कार्यपालिका पर गंभीर टिप्पणी से सरकार की विफलता उजागर हो गई है ।

मंत्री एनोस एक्का के कारनामे

- 2 अक्टूबर 2007 को गाँधी जयंती के अवसर पर एनोस के गांव में खस्सी का भोज हुआ। गांधी जयंती के अवसर पर मांस खाना व बेचने पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद खुल्लमखुल्ला मंत्री एक्का और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कानून की धज्जियां उड़ायी गयी । भोज में मंत्री के साथ-साथ डी.डी.सी., एस.डी.ओ. डी.पी.ओ. सहित अन्य अधिकारी भी शामिल थे ।

- इनके आप्त सचिव द्वारा हवाई अड्डा पर दादागिरी और टिकट काउंटर में तोड़-फोड़ की गई।

- खुफिया विभाग ने एनोस एक्का द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपा इसके बावजूद इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

- इनकी हठधर्मिता एवं अनावश्यक हस्तक्षेप से नरेगा में साढे पांच हजार नियुक्तिाँ लम्बित पड़ी हुई है ।

- रोड परमिट मामले में इनके द्वारा चहेतों के लिए नियमों की अनदेखी तथा ईमानदारी बरतने वाले अधिकारियों को दंडित करना आम घटना हो गई है ।

- भवन निर्माण विभाग में इनके दबाव पर बगैर टेंडर के ही करोड़ों के काम हो रहे हैं ।

- खूंटी जेल में बैरक बनवाने के नाम पर इनके विभाग ने एक ही काम के लिए दो विभागों से पैसा लिया ।

- कारा भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता का मात्र 11 प्रतिशत व्यय हो पाया । शेष लौट गया ।

- मंत्रियों और अधिकारियों के आवासों की मरम्मत पर प्रत्येक साल लाखों का रुपयों की फिजुल खर्ची की गई । मसलन स्टीफन मरांडी के घर को संवारने पर खर्च 9.25 लाख, मंत्री नलिन सोरेन के घर पर खर्च 5 लाख 50 हजार, मंत्री दुलाल भुंईया के आवास की विशेष मरम्मत पर 6.05 लाख, रिम्स में मंत्री के चैम्बर के साज-सज्जा पर 10 लाख रुपये खर्च हुये ।

- नियमत: अराजपत्रित कर्मियों के स्थानांतरण का अधिकार परिवहन आयुक्त के पास होता है लेकिन इन्होंने इस अधिकार को अपने पास रखकर इसे अवैध कमाई का जरिया बना लिया है ।

- परिवहन विभाग में अनियमितता का आलम यह है कि मोबाइल दारोगा अपने आपको नियम कानून यहाँ तक कि सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों से उपर मानते हैं ।

- मोबाइल दरोगा की प्रतिनियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी किया है और पूछा है कि यदि परिवहन विभाग में मोबाइल दारोगा के पद रिक्त नहीं थे तो किस परिस्थिति में गृह विभाग ने उन्हें नियुक्त किया ।

- ओवरलोडिंग रोकने के मामले में मोबाइल दारोगा और डीएसपी न्यायालय को ठेंगा दिखा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में ओवरलोडिंग का कारोबार मंत्री की देख-रेख में चल रहा है।

- इनकी हठधर्मिता और संलिप्तता के कारण मोबाइल दारोगाओं के निलम्बन का आदेश रद्दी की टोकरी में चला गया ।

- इन्होंने परिवहन आयुक्त के द्वारा किये जाने वाले गाड़ियों और भारी वाहनों के औचक निरीक्षण को बंद करा दिया है ताकि गाड़ियों का अवैध परिचालन जारी रहे ।

- राज्य के बाहर से आने वाले और राज्य के भीतर चलने वाले भारी वाहनों से प्रति माह वाहन क्षमता के अनुसार 3000 रुपया से लेकर 8000 रुपया तक की अवैध वसूली की जाती है और अवैध कागजातों तथा ओवरलोडेड वाहनों का परिचालन सुनिश्चित किया जाता है ।

- जो वाहन मालिक अवैध रकम नहीं देता है उसका कागजात वैध रहने पर भी वाहन का परिचालन रोक दिया जाता है ।

- इस वर्ष परिवहन विभाग में लक्ष्य का 20 प्रतिशत से भी कम राजस्व अभी तक वसूलाा गया है, क्योंकि सरकारी खजाने में जाने वाला राजस्व मंत्री की शह पर हो रही अवैध वसूली में चला जा रहा है । जबकि यह लक्ष्य वित्त विभाग और बोर्ड ऑफ रिभेन्यू द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

- वाहनों का रजिस्ट्रेशन मूल्य के आधार पर करने का विभागीय सचिव का प्रस्ताव मंत्री ने लागू नहीं होने दिया ।

- विभागीय सचिव ने प्रस्ताव दिया था कि गाड़ी बेचने वाले को ही पंजीकरण का अधिकार दे दिया जाये । साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए निजी क्षेत्र में पंजीकरण लाइसेंस दिया जाये, परंतु मंत्री ने यह नहीं होने दिया क्योंकि प्रति गाड़ी पंजीकरण से जो अवैध कमाई होती है वह रुक जाती ।

- राज्य में एमभीआई की संख्या केवल 11 है । इन्हीं से 24 जिलों में काम लिया जा रहा है । मोटर यान अधिनियम में जगह-जगह पर मोबाइल चेकिंग स्टेशन लगाने का प्रावधान है लेकिन मंत्री ने इसे लागू नहीं होने दिया, क्योंकि इससे अवैध वसूली बंद हो जाती ।

- परिवहन विभाग में जितनी सरकारी गाड़ियां क्षेत्र में निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों को दी गई है उन सभी गाड़ियों को मंत्री अपने यहाँ मंगा कर चलाते हैं । जिसके कारण निरीक्षण का काम नहीं हो पाता है ।

- विभाग में लाखों के वाहन बिना उपयोग के सड़ रहे हैं, जबकि इन वाहनों की खरीद आकस्मिक निधि के तहत 10.85 करोड़ रु. से की गई थी ।

- एक मोबाइल दारोगा ने धनबाद में महिन्द्रा का शो रूम खरीद लिया है । मंत्री महोदय का आदेश है कि विभाग की जो भी गाड़ियां खरीदी जाएगी उसे उसी शोरुम से खरीदना होगा ।

- ग्रामीण विकास की रफ्तार सुस्त है । चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 8 प्रतिशत राशि ही खर्च हुई है । यानी बजट 556.26 करोड़ का और खर्च केवल 49.65 करोड़ ।

- नरेगा योजना के तहत राज्य में एक मजदूर को साल भर में 642 दिन काम देने की अनियमितता का खुलासा सोशल ऑडिट से उजागर हुआ है ।

- बोकारो जिला में नरेगा में 40000 जॉब कार्ड का घोटाला पकड़ा गया इसे पकड़ने वाले उपायुक्त को तबादला हो गये हैं । मुख्यमंत्री का गृह जिला नरेगा में नीचे से दूसरे स्थान पर चला गया ।

- अधिकांश जिलों में नरेगा के तहत कोई काम नहीं हुआ है । एक हजार करोड़ रुपया का आवंटन निष्फल साबित हुआ है । इस वर्ष तो कई जिलों में अभी तक नरेगा में काम का खाता ही नहीं खुल पाया।

- नरेगा में सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि भ्रष्टाचार रोकने वाले उपायुक्त स्तर तक के अधिकारी को भी प्रताड़ित होना पड़ता है । बोकारो के उपायुक्त को सरकार ने इसलिए हटा दिया कि उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं के भ्रष्टाचार और धौंस के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया ।

- नरेगा में मात्र 284 करोड़ खर्च हुआ जबकि हर साल 3000 हजार करोड़ रुपया की केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने की संभावना ।

- स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के खर्च में भी राज्य सरकार फिसड्डी साबित हुई है ।

- अंकेक्षण टीम ने नरेगा में भारी अनियमितता का खुलासा किया है और टिप्पणी किया कि :

जॉब कार्ड बनाने में पैसे लिए जा रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, मशीन

के जरिये काम कराया जा रहा है और घूसखोरी चरम पर है-अंकेक्षण टीम ने आपराधिक मुकदमा दर्ज कर इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्देश दिया, परंतु विभागीय मंत्री ने इसे नहीं होने दिया ।

- राज्य की 370 ग्रामीण सड़कों की जांच में आधी से अधिक सड़कें गुणवत्ता में घटिया साबित हुई हैं ।

- सारे नियम-कानून और परंपराओं को ताक पर रख कर इंजीनियरों का स्थानांतरण-पदस्थापन और इनके द्वारा स्थापना समिति के निर्णयों में मनमाना फेर-बदल इनके विभाग की विशेषता हो गई है ।

- इनके द्वारा हिनू (राँची) में पेट्रोल पंप खरीदने तथा अकूत अवैध धन-सम्पत्ति जमा करने की जांच सीबीआई कराने की झारखंड पार्टी अध्यक्ष की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया।

- विभागीय स्थापना समितियों के निर्णयों को मंत्री थोक भाव से बदल देते हैं जो कि कार्यपालिका नियमावली प्रावधानों के विरुद्ध है ।

मंत्री हरिनारायण राय के कारनामे

- जे.एन.यू.आर.एम. के तहत यह सरकार बनने के बाद कोई प्रगति नहीं है । राजग सरकार द्वारा किये गये सभी कार्य स्थगित है । इस मद में स्वीकृत 170 करोड़ रुपया में से शून्य व्यय हुआ है ।

- नगर निकायों के चुनाव की दिशा में कोई प्रगति नहीं है । 22.5.2007 को इन्होंने घोषणा किया कि 3 महीने के अंदर नगर-निकायों के चुनाव हो जायेंगे लेकिन आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है । नगर निकाय चुनाव नहीं होने से राज्य 5000 करोड़ रुपया के अनुदान से वंचित है ।

- शहरी विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के 220 करोड़ रुपये में से व्यय करना तो दूर निधि भी विमुक्त नहीं हुई।

- नगर विकास विभाग में 354 करोड़ रुपया की स्वीकृत योजना राशि के विरुद्ध अब तक स्वीकृति आदेश मात्र 30 करोड़ रुपये और व्यय शून्य ।

- शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण, नाली निर्माण के लिए स्वीकृत 50 करोड़ रुपया में से मात्र 15 करोड़ रुपये निर्गत और व्यय शून्य ।

- शहरी जलापूर्ति के लिए स्वीकृत 50 करोड़ रुपया में से व्यय शून्य ।

- 12वें वित्त आयोग द्वारा राजधानी के विकास और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वीकृत 50 करोड़ रुपया में से व्यय शून्य ।

- शहरों में बढ़ रही आवास की समस्या के प्रति लापरवाही, 44 प्रतिशत परिवार एक कमरे में रहने को मजबूर है ।

- निविदा संख्या 2005-06 के ग्रूप संख्या 5 में जाली कागजातों के आधार पर कार्यो का आवंटन इनके द्वारा किया गया है । जांच में कागजात जाली साबित हो चुके हैं ।

- दो सौ ठेकेदारों को काली सूची में डालने के आदेश की फाइल दबा कर ये बैठ गए हैं ।

- सत्संग रोड देवघर से भिरखी तक की सड़क दो वर्ष पूर्व 14 करोड़ की लागत से बनी और ध्वस्त हो गई । षडयंत्र के तहत इन्होंने उसे पी.डब्ल्यू.डी. में स्थानांतरित करा दिया ताकि साक्ष्य समाप्त हो जाये । पी.डब्ल्यू.डी. ने इसी सड़क का 34 करोड़ का टेंडर किया है ।

- भ्रष्ट अभियंताओं को दंडित करने का मुख्यमंत्री का आदेश ठंढे बस्ते में, उल्टे मंत्री ने इन्हें अच्छा पद देकर प्रोत्साहित किया ।

- राज्य में पर्यटन विकास के कार्यक्रम शिथिल । पर्यटन स्थलों के विकास का विस्तृत प्रतिवेदन तक तैयार नहीं ।

मंत्री कमलेश सिंह के कारनामे

- जल संसाधन विभाग में बाजार मूल्य से काफी अधिक कीमत पर पाइप की खरीद में इनकी संलिप्तता प्रमाणित हो गई है ।

- हाईकोर्ट के निर्देश पर निगरानी ने जल संसाधन विभाग में हुए पाइप घोटाला के इस आरोप को सही पाया । खुले बाजार में पाइप की दर 70 से 78 प्रति मीटर है जबकि जल संसाधन विभाग ने इसे 122 रुपये मीटर की दर से खरीदा । मंत्री के जिले में उनके भाई की कम्पनी द्वारा रोक के आदेश के बावजूद पाइप की आपर्ति की गई ।

- बिना प्रशासनिक स्वीकृति के दर्जनों निविदाओं का निष्पादन । सभी का काम आधा-अधूरा।

- चेक डैम निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता । क्लस्टर बनाकर मनचाहे संवेदकों को निर्माण और अनियमितता की छूट ।

- लघु सिंचाई विभाग में जिस अभियंता को तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने निलम्बित करने की अनुशंसा की थी उसकी सजा को मंत्री ने निंदन की अनुशंसा में बदल दिया और दागी अभियंता को बनाये रखा।

- कोनार सिंचाई परियोजना में मिट्टी भराई के काम में 12 करोड़ रुपये का प्राक्कलन घोटाला। प्राक्कलन की राशि 4 करोड़ से बढ़ाकर 16 करोड़ की गई ।

- पलामू के व्यवहार न्यायालय ने इनके उपर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप गठित कर दिया । फिर भी ये अपने पद पर बने हुए हैं ।

- झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ ने मंत्री पर बेइमानी, घुसखोरी, कमीशनखोरी तथा पैसा लेकर स्थानांतरण-पदस्थापन करने का आरोप लगाया है ।

- जल संसाधन मंत्री के पास 13 सरकारी गाड़ियों का काफिला है जिनमें दो मार्शल, दो सुमो, तीन एम्बेसडर, तीन जीप्सी, दो बोलेरो और एक इंडीवर है । इन गाड़ियों का इस्तेमाल इनके परिवार वाले करते हैं ।

- गोलमाल और भ्रष्टाचार के कारण भैरवा जलाशय, धनसिंह टोली जलाशय, झरझरा जलाशय, कोनार जलाशय, सुरंगी जलाशय, कंस जलाशय सहित अन्य कई परियोजनाओं का निर्माण खटाई में पड़ा हुआ है ।

- लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं की गुणवत्ता पर दुमका के उपायुक्त ने सवाल उठाया और चेक डैम, बांध एवं तालाब निर्माण योजनाओं में काफी बढ़ाकर प्राक्कलन तैयार करने का आरोप लगाया । मसलिया प्रखंड के बसकुटिया बांध योजना को उपायुक्त ने अनुपयोगी करार दिया परंतु विभागीय मंत्री द्वारा इन योजनाओं को क्लीन चीट दे दिया गया और दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

- मंत्री के खिलाफ नमक घोटाला, गैस चूल्हा खरीद घोटाला और पीडीएस अनाज घोटाला में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ।

- निविदा समिति द्वारा गैस चूल्हा खरीद की निविदा रद्द करने की अनुशंसा की गई विभागीय सचिव द्वारा इस निर्णय को अनुमोदित किया गया, इसके बाद भी मंत्री द्वारा उंचे दाम पर गैस चूल्हा की खरीद की गई ।

- दो साल में भी गैस कनेक्शन वितरण का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ । 2005-06 में शुरु गरीबों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना में मात्र 37.38 प्रतिशत कनेक्शन ही बांटे गए । बाकी का हिसाब-किताब नदारत ।

- आबकारी नीति लागू करने के बदले शराब माफिया के दबाव में पुरानी नीति का ही समय बढ़ाते जाने के कारण राज्य को करीब 300 करोड़ रुपये का घाटा तथा मंत्री और शराब माफिया को इसका फायदा ।

- मंत्री और शराब माफिया की सांठ-गांठ से राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का घाटा । राजग सरकार के समय 152 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली वर्तमान सरकार में मात्र 58 करोड़ रुपये पर सिमटा गई । इस वर्ष अभी तक लक्ष्य का मात्र 20 प्रतिशत राजस्व वसूली हो सका है । राज्य में शराब की खपत और राजस्व का उल्टा रिश्ता है ।

- शराब माफिया एक्सटेंशन के आक्सीजन पर चांदी काट रहे हैं । इनकी मियाद पांचवीं बार बढ़ी ।

- शराब माफिया के दबाव में टेंडर नहीं होने के कारण राज्य को हर माह 10 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान । विभिन्न जिलों में अलग-अलग नाम से दुकानों पर सिंडीकेट का कब्जा ।

- तत्कालीन विभागीय सचिव श्री बी.के. सिंह ने 13.4.2007 को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि राज्य में उत्पाद व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है ।

- आबकारी नीति बिना सम्यक विचार के आनन-फानन में लागू कर देने से सरकार के करीब 27 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि हुई ।

- शराब सिंडिकेट अपने ब्रांड की बांटलिंग कर दोहरा फायदा कमाता है । अपने माल का हेर-फेर कर शराब की खपत काफी कम बताई जाती है । सिंडिकेट द्वारा एक ट्रक माल पर सरकार को राजस्व देता है, जबकि शेष तीन ट्रकों की शराब सिंडिकेट निकाल कर भारी मुनाफा बनाते हैं ।

मंत्री चन्द्रप्रकाश चौधरी के कारनामे

- मंत्री स्तरीय कमीशनखोरी के कारण एक भी चापाकल (नलकूप) नहीं गाड़ा जा सका 2007-08 में ।

- मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा के बिना अपने स्तर से नलकूप गाड़ने का कार्य टर्नकी पर देने की अनियमितता के कारण फैसला उच्च न्यायालय से रद्द ।

- विभाग द्वारा जारी की जा रही निविदाओं के निष्पादन में घोर भ्रष्टाचार, अनियमितता और हेराफेरी के अनेकों ज्वलंत उदाहरण ।

- धनबाद फेज-2 पेयजल परियोजना की निविदा खुले 6 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न्यूनतम दर वाले संवेदक को कार्यादेश नहीं देने के कारण योजना शिथिल ।

- लोक निर्माण संहिता का उल्लंघन कर निविदा समिति के निर्णय के विपरीत संचिका पर मंत्री द्वारा आदेश दिये जाने की अनियमितता एवं स्वार्थलोलुप्ता तथा भ्रष्टाचार के दर्जनों उदाहरण ।

- मानगो पेयजल परियोजना एवं जुगसलाई पेयजल परियोजना की निविदा का परिचालन और रख रखाव की शर्त जोड़ने के बहाने मंत्री द्वारा रद्द कर दिया गया, परंतु जैना मोड़ परियोजना में से इस प्रावधान को हटा दिया गया ।

- मानगो पेयजल परियोजना का व्यय भ्रष्टाचार के चक्कर में बढ़कर दो माह के भीतर 41 करोड़ से 58 करोड़ हो जाना और पहली निविदा में न्यूनतम दर पर आने वाले संवेदक को पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए निविदा शर्तो में जानबूझ कर मंत्री स्तर से परिवर्तन किया जाना, पेयजल स्वच्छता मंत्री के भ्रष्ट आचरण का ज्वलंत उदाहरण है ।

- डालटनगंज जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जलापूर्ति में गलत डीपीआर के कारण 9 करोड़ रुपये का चूना लग गया । इसके अलावाल शुल्क के 19.36 लाख रुपये भी बेकार में चले गये ।

- मेदिनी नगर सदर अस्पताल में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और मेकेनाइज्ड लाही के उपकरणों की खरीद में 4.5 करोड़ का घपला । इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई । इसकी जांच होकर रिपोर्ट भी आ गई है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, गढ़वा जिले के कनीय अभियंता श्री जयप्रकाश मिस्त्री पर

विभिन्न प्रमंडलों में काम करते हुए 41 लाख रुपये की निकासी का आरोप है । जांचोपरांत अभियंता मिस्त्री को जबरन सेवानिवृत कर घोटाले के पैसों को वसूलने की अनुशंसा की है, परंतु विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं ।

- पोलिटेकनीक व्याख्याताओं की नियुक्ति की संचिका 6 माह से मंत्री के पास लंबित है । नियुक्ति आदेश जारी करने के बदले मंत्री मोल भाव कर रहे हैं । झारखंड लोक सेवा आयोग से भेजा गया नियुक्ति पैनल की अवधि समाप्त होने के करीब आ गई है ।

- राज्य में 3 इंजिनीयरिंग कॉलेज और 8 पोलीटेकनीक कॉलेज के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपया राजग सरकार के समय ही वर्ष 2006-07 में विमुक्त हो गया, परंतु मंत्री इस पर कुंडली मारे बैठे हैं और निर्माणकर्ताओं के साथ मोल भाव कर रहे हैं ।

- पूर्ववर्ती राजग सरकार के प्रयास से तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और नवीकरण के लिए विश्व बैंक ने 57 करोड़ रुपया दिया था जिसका कोई उपयोग नहीं हुआ है ।

- डी.ए.भी. इंजिनियरींग कॉलेज, डालटेनगंज को 3 करोड़ रुपया देने के आदेश को मंत्री ने कमीशन नहीं मिलने के कारण रोक रखा है ।

- एन.पी.सी.सी., एन.बी.सी.सी. और ई.पी.आई.एल. जैसे सार्वजनिक उपक्रम को तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के निर्माण हेतु अग्रिम राशि दे दी गई है, परंतु मंत्री ने निर्माण कार्य को आगे बढ़ने से रोक दिया है ।

मंत्री बंधु तिर्की के कारनामे

- राज्य के शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की का बड़बोलापन जगजाहिर है । अपने अधीनस्थ विभाग में वे काम कम धौंस ज्यादा जमाते हैं । घोषणाओं की झड़ी लगाते हैं पर नतीजा हमेशा सिफर रहता है । इनकी अकमर्णयता के कारण राज्य की शैक्षणिक स्थिति बदहाली के कगार पर पहुंच गयी है । सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है । इन्होंने शिक्षा का सम्प्रदायीकरण कर दिया है । ये स्वयं पहले एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिकारी थे जहां से अनियमितताओं के आरोप में इन्हें निकाल बाहर किया गया । बैंक में पशुपालन घोटाला के अभियुक्तों का जाली हस्ताक्षर से एकाउन्ट खोलवाने का भी एक गंभीर आरोप है । इन आरोप में गहन छानबीन करने से सी.बी.आई. को रोका जा रहा है । उनके विभाग की जर्जर स्थिति आकलन निम्नांकित बिन्दुओं के अध्ययन से सहज पता लग जाता है ।

- प्रोन्नति घोटाले में लाखों के वारे-न्यारे । बिना रिक्ति के 12 प्रधानाध्यापकों को मिली प्रोन्नति ।

- राज्य के शिक्षा विभाग की अकर्मण्यता का आकलन इसी से किया जा सकता है कि 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिले 565 करोड़ रुपये के अनुदान में से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है ।

- राज्य में 10 हजार प्राथमिक भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण, जर्जर सरकारी स्कूलों को ठीक करने, 29453 शौचालयविहीन विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था करने, इनमें पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए प्राप्त अनुदान की राशि में से व्यय शून्य है ।

- राज्य के 94 फीसदी स्कूलों में बिजली एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं है । सूबे के 40814 प्रारंभिक स्कूलों में से 24759 के पास ब्लैक बोर्ड की सुविधा नहीं है । राज्य के 30794 यानी तीन चौथाई स्कूलों में कॉमन शौचालय नहीं है । तो 84.41 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है । परंतु इन मदों में प्राप्त राशि खर्च नहीं की जा रही है ।

- मंत्री और उनके गुर्गो के षडयंत्र से राज्य में जाली पुस्तकों का कारोबार जोरों पर है।

- पारा शिक्षकों तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए विवश हैं क्योंकि उनके साथ हुये समझौते लागू नहीं हो रहे हैं और शिक्षण कार्य ठप्प है ।

- विश्व प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय की स्थिति दयनीय हो गयी है ।यहां नामांकन में गड़बड़ी की अनेकों शिकायतें मिल रही हैं ।

- एसटी-एससी छात्रों के लिए खरीदे गए 76 लाख रुपये के कम्प्यूटर बेकार पड़े हैं ।

- शैक्षणिक सत्र का चार माह बीत जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को सरकार किताब उपलब्ध कराने में विफल रही है ।

- राज्य के उच्च शिक्षा की स्थिति दयनीय है । शिक्षकों की कमी के कारण महाविद्यालयों में नियमित पठन-पाठन नहीं हो रहा है ।

- राज्य से बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं ।

- मंत्री और अधिकारियों के लिए विभाग में तबादला एक उद्योग बन गया है ।

- राज्य में स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण वे अन्य स्थानों पर पलायन कर रहें हैं ।

- मेगा स्पोर्ट्स कम्पलेक्स के निर्माण में संवेदकों की साठ-गांठ से मंत्री अनियमितताओं पर परदा डाल रहे हैं

मंत्री भानु प्रताप शाही के कारनामे

- भानु प्रताप शाही के विरुद्ध करीब 14 मामले दर्ज हैं । इन मामलों में मुख्यत: उग्रवादी संगठन का सदस्य होना, उग्रवादियों को संरक्षण देना व विभिन्न उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होना है ।

- ये हरिजन एक्ट के मामले में अभियुक्त हैं और सरकारी संरक्षण प्राप्त होने के कारण जेल से बाहर हैं ।

- इन पर उग्रवादियों के साथ साठ-गांठ रखने और उनकी मदद से चुनाव जितने के प्रमाण खुफिया विभाग में मौजूद हैं परंतु सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ।

- ये संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन दलबदल कानून के अभियुक्त भी हैं । यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है ।

- बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में इनका विभाग फिसड्डी है । राज्य में निबंधित 12,86,557 बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में मंत्री की कोई रूचि नहीं है ।

- विस्तृत असंगठित क्षेत्र के प्रति इनका रवैया उपेक्षापूर्ण है ।

- केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी-कानून' की स्थिति झारखंड में घोर असंतोषजनक है । रोजगार गारंटी योजना की मात्र 29 फीसदी राशि ही सरकार बनने के बाद खर्च हुई है । उपलब्ध राशि 664.55 करोड़ में से केवल 192.82 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं, परंतु इनका विभाग निर्लिप्त होकर सोया हुआ है ।

- चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2007 से अक्टूबर 2007 के बीच झारखंड में श्रम अधिनियम उल्लंघन के कुल पांच हजार मामले दर्ज हुये हैं ।

- नस्लवाद के समर्थक इस मंत्री द्वारा पूर्व स्पीकर श्री इन्दर सिंह नामधारी के विरूद्ध आपत्तिजनक एवं जाति-धर्म को अपमानित करने वाला बयान दिया गया, जो संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है । ये मंत्री पद पर रहने के लायक नहीं है ।

- रिम्स में पहले से बने मंत्री के चैम्बर की साज-सज्जा के नाम पर 10 लाख रुपये का अवैध खर्च किया गया है ।

- ये दादागिरी के लिए नियमों को ताक पर रख कर सरकारी रूतबा का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

- मंत्री अपने काम को करवाने के लिए अपने अधिकारियों के साथ असंसदीय भाषा एवं मर्यादा का व्यवहार करते हैं ।

- बिना बजट प्रावधान के मंत्री द्वारा आकस्मिक निधि से 50 करोड़ की निकासी पर कोर बैंकिंग व्यवस्था ने रोक लगा दी है ।

- मंत्री एवं अधिकारियों की मिलीभगत से तबादला उद्योग में 5 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गयी है । मंत्री ने 4 जनवरी 2007 को स्वयं स्वीकार किया कि चिकित्सकों के तबादले में पैसों का खेल हुआ है ।

- मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि स्वास्थ्य विभाग में पूरा सिस्टम फेल है ।

- स्वास्थ्य विभाग में कंबल खरीद घोटाला को मंत्री ने दबाकर रखा है । इस बिन्दु पर मंत्री और सचिव की परस्पर विरोधी टिप्पणियां और निर्देश संचिका में मौजूद है ।

- अपने उपर से केस हटाने के लिए मेराल के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को मंत्री द्वारा धमकियां दी गयी ।

- स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए एक परामर्शी संगठन को अनुचित रूप से 68 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव इन्होंने दिया जिसे सचिव ने ठुकरा दिया और आरोप लगाया कि मंत्री एक ही तरह के डिजाईन के लिए बारबार भुगतान करने का प्रस्ताव दे रहे हैं।

- औषध नियंत्रण विभाग मंत्री के लिए अवैध कमाई का जरिया बन गया है । सालाना करीब छः करोड़ रुपये की अवैध उगाही और बंदरबाट हो रही है ।

- वर्तमान सरकार में गरीबों और ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुँच से बाहर हो गयी है।

- कुष्ठ उन्मूलन में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और विफलता उजागर हुई है । इस मद में आवंटित 320 लाख रु. में से मात्र 66 लाख रु. ही अब तक खर्च हुआ है ।

- एड्स जागरुकता और आर.सी.एच. के नाम पर मंत्री द्वारा सरकारी सुविधाओं का दुरूपयोग किया जा रहा है ।

मंत्री नलिन सोरेन के कारनामे

- कृषि विभाग में घोटालों की खेती हो रही है । नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक दवाओं की खरीद में घोटाला उजागर हुआ है ।

- एक तरफ विभागीय सचिव ने नकली बीज मामले में जांच का आदेश पारित किया, वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री पूरे मामले को झूठ करार दिया ।

- धन उगाही के नये-नये हथकंडे अपना रहे हैं । जिस पशुपालन घोटाला की जांच सी.बी. आई. जैसी संस्था कर रही है । उसी घोटाला की फिर से जांच कराने की फैसला ।

- सरकार द्वारा माडल एक्ट पारित नहीं किये जाने के कारण मार्केटिंग बोर्ड को विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले 1000 करोड़ रुपये की सहायता से बंचित होना पड़ा है ।

- जिन अधिकारियों पर पूर्व में अनियमितता के कई गंभीर आरोप हैं वे मंत्री की कृपा से उच्च पदों पर आसीन हैं ।

- दागी अधिकारियों कं कृषि मंत्री का खुला संरक्षण प्राप्त है । जिसे निगरानी विभाग ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा उसे मंत्री ने प्रोन्नति दे दिया । ऐसे एक दर्जन से अधिक अधिकारियों को मंत्री ने पुरस्कृत किया है ।

- झारखंड में कृषि मंत्री की अदूरदर्शिता के कारण लाखों किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं ।

- वर्ष 2006 में फसल बीमा कराने वाले राज्य के 12 लाख किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति

का कोई आकलन नहीं किया गया । खरीफ 2007 के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई ।

- मंत्री और अधिकारियों की मिलीभगत से झारखंड में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही है । चतरा और हजारीबाग के कई इलाके अफीम के गोदाम में तब्दील हो रहे है ।

- कृषि निदेशालय में ढाई करोड़ के घोटाला पर मंत्री परदा डालने में लगे हैं । कृषि यांत्रिकीकरण योजना में 63 लाख रुपये की हेरा फेरी और रोकड़ बही लिखने में 1.87 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की वित्तीय अनियमितता का मामला खटाई में पड़ा हुआ है ।

- चाईबासा जिले में 1.70 लाख करोड़ की लागत से लगाये गये जेट्रोफा पौधों का कोई अता-पता नहीं । परंतु दोषी व्यक्तियों और संस्थाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

- किसानों को सरकारी मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने की सरकार की योजना विफल हो गई है ।

- खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं । 286 रुपये की पारस डी.ए.पी. खाद 750 रुपये में मिल रही है ।

- मार्केटिंग बोर्ड के भवन निर्माण में भारी घोटाला पकड़ा गया । यह भवन बिना नक्शा के ही बनाया जा रहा है । बगैर भवन प्लान के ही 1.32 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है ।

- कृषि बाजार समितियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता उजागर हुई है ।

- बीज खरीद के नाम पर करोड़ों का घपला हुआ । बाजार से दोगुनी दर पर बीज की खरीद हुई है । कृषि विभाग ने 13 करोड़ की लागत से सब्जियों के बीज की खरीद की जबकि यही बीज बाजार में लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध था । वैसे कम्पनियों (नेफेड और नेरामेक) से बीजों की खरीद की गई जो बीज का उत्पादन करती ही नहीं है । दोषी पाये जाने पर भी इन कम्पनियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । उलटे मंत्री इन्हें बचाने में लगे हुये हैं ।

- डोलोमाइट व चूना के क्रय में भारी अनियमितता है । इनकी खरीद चार गुना मूल्य पर की गई है । मिट्टी से आम्लीयता दूर करने के लिए कृषि विभाग द्वारा पिछले साल 4 करोड़

की लागत से डोलोमाइट एवं चूना की घटिया क्वालिटी की खरीदारी की जांच का आदेश महज खानापूर्ति बन कर रह गया ।

मंत्री जोबा मांझी के कारनामे

- इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि आंगनबाड़ी सहायिका एवं सेविका की नियुक्ति में लगभग 24 करोड़ का लेन-देन हुआ । मगर उन्होंने कोई जाँच का आदेश नहीं दिया और न ही दोषियों को दंडित करने की कार्रवा की ।

- इन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की नियुक्ति में 20 हजार से लेकर 25 हजार रुपये की घूस चल रही है । कुल बहाली लगभग 12,000 के आधार पर आकलन किया जाय तो घूस की राशि 24 करोड़ रुपये होती है । सवाल है कि रुपये कहां गये ? मंत्री की चुप्पी उनके आचरण के बारे में संदेह पैदा करने वाली है।

- जिस भ्रष्ट सीडीपीओ पर कई तरह के गबन के मामले में विजिलेंस जांच चल रही है, उसे मंत्री द्वारा अपना विशेष कार्य पदाधिकारी बनाना क्या साबित करता है ?

- जिस बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) को निलंबित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा उपायुक्त ने की थी, उस पर मंत्री द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

- दीनदयाल आवास योजना के तहत 2006-07 में विभाग की अदूरदर्शिता के कारण 38 हजार गरीबों के मकान नहीं बन सके । राजग शासन में आरंभ की गई इस योजना को वर्तमान सरकार ने समाप्त कर गरीब विरोधी होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है ।

- राज्य में आवास निर्माण की प्रक्रिया शिथिल हो गई है । राज्य आवास बोर्ड दम तोड़ रहा है । राजग शासन में सरकारी भूखंडों एवं अन्य भूखंडों पर आवास एवं बाजार निर्माण की योजना पर कोई अमल नहीं हो रहा है ।

मंत्री दुलाल भुईयां के कारनामे

- भू-राजस्व मंत्री श्री दुलाल भुंईया ने अपने पद और पावर का दुरूपयोग करते हुए 20 डिसमिल आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी करार कर अपनी पत्नी के नाम अवैध रूप से रजिस्ट्री करा लिया । विपक्ष द्वारा इस मामले को उठाने के बावजूद आदिवासियों के तथाकथित हितैषी होने का ढिढोरा पिटने वाले चुप्पी साधे हुये हैं और मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

- अपनी पत्नी के नाम से आदिवासी जमीन की खरीद स्वीकार करने के बाद भी मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से यह कहा जाना कि उनको पता नहीं है कि यह जमीन उनकी पत्नी के नाम से किसने खरीदा है, साबित करता है कि यह खरीद अवैध ढंग से अर्जित कमाई से की गई है ।

- मंत्री दुलाल भुंईया ने अपने पैतृक गांव मानपुर में सेवानिवृत एक शिक्षक के तालाब को जबरन हथियाने का प्रयास किया । ग्रामीणों के विरोध को दबाने के लिए मंत्री ने उन्हें धमकाया, परंतु मंत्री पर कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ।

- जिस भ्रष्ट सीओ ने मंत्री की पत्नी के नाम बेशकीमती जमीन का रजिस्ट्री कराया, उस सीओ को उन्होंने इनाम स्वरूप अपना आप्त सचिव बना लिया ।

- बोकारो स्टील की जमीन के मामले में हाईकोर्ट ने मंत्री के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण पूछा कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध न्यायालय की अवमानना चलाये जाय।

- ये इतने ढीठ हैं कि जमीन हड़पने के लिए न्यायालय के विचाराधीन मामलो में भी हस्तक्षेप करने की हिमाकत कर बैठते हैं और नियम कानून की कोई परवाह नहीं करते हैं ।

- गिरिडीह के देवरी में हुये 631 एकड़ सरकारी भूमि के घोटाला मामले में मंत्री चुप्पी साधे हुये हैं ।

- मंत्री के इशारे पर विभाग में अधिनियम को नियमावली से बदलने का अनोखा खेल चल रहा है । विधानसभा द्वारा बनाये गये अधिनियम के तहत पारित आदेश को नियमावली में मिली शक्तियों के सहारे रद्द करने का कारनामा सिर्फ यूपीए सरकार में ही संभव है ।

- भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केन्द्र सरकार से 2006-07 में एवं 2007-08 में मिले करीब 9 करोड़ रुपये में से आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ ।

- सांसद सुनील महतो की हत्या के संदर्भ में मंत्री ने माओवादियों से संबंध होने का खुलासा स्वयं किया और जमशेदपुर की भरी सभा में बताया कि उनकी मोबाईल फोन से एमसीसी के केन्द्रीय महासचिव पार्थो से बात हुई है ।

- शिक्षकों, अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उनके मुंह पर थूको जैसी आपतिजनक टिप्पणी मंत्री ने सार्वजनिक रूप से किया जिसका मतलब है कि मंत्री को कानून पर भरोसा नहीं है । ये संविधान के प्रति अपनी शपथ के विपरीत आचरण करने के दोषी हैं ।

● ● ●

समर्थक दलों की कसौटी पर सरकार

कोड़ा सरकार के कालेकारनामों के बारे में इस सरकार के समर्थक और यूपीए के घटक दल भी समय-समय पर अपनी कोफ्त जाहिर करते रहते हैं । इनके द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए जा रहे वक्तव्य इनकी पोल-पट्टी रोज-रोज खोल रहे हैं । इसकी एक संक्षिप्त बानगी निम्नांकित है, जिससे पता चलता है कि यह सरकार अपने समर्थकों की कसौटी पर कितना खरा है और कितना खोटा है ।

- सरकार का पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है-*अन्नपूर्णा-गिरिनाथ(राजद कार्यकारिणी में)*
- झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर - *रमई राम (राजद कार्यकारिणी बैठक में)*
- कोड़ा सरकार को ढ़ोना अब संभव नहीं - *अन्नपूर्णा, 4.11.2007*
- झारखंड को लूट खंड बना दिया है मधु कोड़ा ने - *धीरेन्द्र अग्रवाल, 9 जुलाई 2007*
- सांपनाथ बन गये हैं निर्दलीय - *गिरिनाथ सिंह, 30.6.2007*
- 15 से 20 लाख में हो रही है डीसी-एसपी की पोस्टिंग - *धीरेन्द्र अग्रवाल, 26 जून 2007*
- राज्य की विधि-व्यवस्था चरमरा गई है - *सुबोधकांत सहाय, 6.5.2007*
- मोतियाबिंद के रोगी है झारखंड के मंत्री - *सुबोधकांत सहाय, 9.9.2007*
- नौकरशाही की सड़ेली टीम से विकास नहीं होगा - *सुबोधकांत सहाय, 6.5.2007*
- सरकार विकास में मदद नहीं कर रही - *सुबोधकांत सहाय, 8.6.2007*
- मंत्री एनोस के कारण राज्य देश में बदनाम हो गया है-*नियेल तिर्की, 17.4.2007*
- झारखंड रसातल में, चारों ओर सरकार की थू-थू हो रही है-*नियेल तिर्की, 17.4.2007*
- नकेल नहीं कसी गयी, तो यह राज्य कहीं का नहीं रहेगा-*नियेल तिर्की, 17.04.2007)।*
- झारखंड के हालात ठीक नहीं - *सुबोधकांत सहाय, 20.8.2007*
- अंधों के हाथ से झारखंड को बचाना जरुरी - *सुबोधकांत सहाय, 28.8.2007*
- सीधे पैसा ले रहे हैं झारखंड के मंत्री - *रामेश्वर उरांव, 26.8.2007*
- एनोस के आतंक व भ्रष्टाचार से जनता बेहाल -*नियेल तिर्की, 14.6.2007*
- राज्य के मंत्री लूट का सरगना बने - *मनोज यादव, 28.5.2007*
- मंत्री लूटपाट में व्यस्त - *प्रदीप बलमुचू, 17 मई 2007*

- भ्रष्ट मंत्री के रहते राज्य का विकास संभव नहीं - *नियेल तिर्की, 25 जून, 2007*
- ठीक काम नहीं कर रही कोड़ा सरकार - *प्रदीप बलमुचू, 29.4.2007*
- एनोस, कमलेश व राय ने राज्य को लूटा - *मनोज, 5.4.2007*
- कैंसर के समान है भ्रष्ट मंत्री - *मनोज, 17.4.2007*
- आदिवासियों के सबसे बड़े शोषक है बंधु तिर्की - *देव कुमार धान, 26.1.2007*
- झारखंड में जंगल राज - *रामेश्वर उरांव, 5.8.2007*
- भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी के कारण विकास नहीं -*शिबू सोरेन, 16.9.2007*
- मंत्री नहीं अफसर चला रहे हैं सरकार - *शिबू सोरेन, 27.10.2007*
- जनहित के काम कम लूटपाट अधिक - *शिबू सोरेन, 2.9.2007*
- साईकिल चलाने लायक भी नहीं है झारखंड की सड़कें - *शिबू सोरेन, 2.9.2007*
- राज्य में प्रजातंत्र नहीं, ठेकेदारी तंत्र - *शिबू सोरेन, 12.9.2007*
- हेलीकॉप्टर से घूमने से सड़कें नहीं सुधरेंगी -*शिबू सोरेन, 12.9.2007*
- एक साल में सड़कें बदहाल - *शिबू सोरेन, 12.9.2007*
- झारखंड में एक भी सड़क चलने लायक नहीं -*शिबू सोरेन, 12.9.2007*
- कोड़ा सरकार से राज्य का भला नहीं -*टेकलाल महतो, 24.8.2007*
- सिर्फ ट्रांसफर-पोस्टिंग हो रहा है, जनहित के काम नहीं - *हेमलाल मुर्मू, 17.7.2007*
- लूट में लगे हैं झामुमो के मंत्री - *सालखन सोरेन 13.7.2007*
- हमारे मंत्री भी लूट रहे हैं खजाना - *झामुमो 15.5.2007*
- स्थानांतरण को छोड़ राज्य में कुछ काम नहीं हो रहा है - *झामुमो 17.7.2007*
- भ्रष्ट मंत्रियों की पनाहगार बनी है यूपीए सरकार । *(होरो, 10.9.2007)*
- राज्य के सभी मंत्री निर्लज्ज । *(भुवनेश्वर मेहता, 10.8.2007)*
- राज्य सरकार और उसके मंत्री सभी चोर । *(गुरुदास गुप्ता, 21.5.2007)*

महामहिम जी, उपर वर्णित तथ्य मात्र आरोप नहीं हैं । ये राज्य सरकार की नीति और नीयत की असलियत उजागर करते हैं । इस राज्य में फिलहाल एक ऐसी सरकार चल रही है, जिसके काले कारनामों से राज्य तो विकास की राह पर दिन प्रति दिन पीछे की ओर जा ही रहा है, देश और दुनिया में भी झारखंड का नाम बदनाम हो रहा है । राज्य की जनता इस सरकार से जितना त्रस्त है उससे कम त्रस्त इस सरकार का समर्थन करने वाले घटक दल और उनके नेता नहीं है । परंतु इस सरकार के समर्थक घटक दलों और नेताओं का चरित्र दोहरा है । एक ओर ये सरकार के काले कारनामों के भंडाफोड़ का नाटक कर आम जनता के बीच अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए सरकार को समर्थन देकर बचाने और चलाने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं । राष्ट्रीय जनता दल और झामुमो जैसे संकीर्ण मानसिकता वाले राजनीतिक दलों द्वारा अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वर्तमान भ्रष्ट और निकम्मी सरकार का समर्थन करने के बाद तो एक क्षण के लिए समझ में आती है परंतु राष्ट्रीय दल की छवि रखने वाली कांग्रेस भी कोड़ा सरकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण और बढ़ावा आखिर किस कारण से दे रही है ? कारण मात्र एक ही है कि झारखंड की अकूत प्राकृतिक संपदा की लूट में वह अधिक से अधिक हिस्सेदारी ले सके और इसके नेता भी सरकार की अवैध कमाई से अपनी झोली भर सके ।

राष्ट्रहित, राज्यहित और जनहित के प्रति संवेदनशील समाचार पत्रों द्वारा प्राय: हर रोज सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता की खबरें प्रकाशित की जाती हैं । राज्य के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायधीश भी अपनी सीमा और मर्यादा के भीतर रह कर सरकार के संविधान और कानून विरोधी आचरण पर तल्ख टिप्पणियाँ अक्सर करते रहते हैं । एक अन्य संवैधानिक संस्था ''नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक'' द्वारा भी अपने प्रतिवेदनों में सरकार की वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया जाता है और इन्हें दुरुस्त करने का संकेत और निर्देश किया जाता है । परंतु सरकार है कि ऐसे समाचारों, टिप्पणियों, निर्देशों और संकेतों को ग्रहण करना ही नहीं चाहती है । कोई सोया है तो उसे जगाने के लिए प्रयत्न करने का औचित्य समझ में आता है परंतु जो जगा होकर सोने का दिखावा कर रहा है, उसे जगाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयत्न की कोई सार्थकता नहीं है । इस सरकार में नियम-कानून-संविधान की धज्जियाँ अनजाने में नहीं उड़ाई जा रही हैं, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमिततायें एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत की जा रही हैं । इसलिए इस सरकार को रास्ते पर लाने की समस्त संभावनायें समाप्त हो गई हैं । हम सभी अवगत हैं कि किस प्रकार महामहिम द्वारा भी समय-समय पर अपने पद की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप सरकार को नियम-कानून-संविधान का पालन करने और जनहित एवं राज्यहित

में कदम उठाने के लिए आवश्यक निर्देश और सुझाव आवश्यकतानुसार दिये जाते रहे हैं । परंतु यह सरकार है कि ऐसे निर्देशों को ग्रहण करने और सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है ।

हमारा सुनिश्चित मत है कि यह सरकार जितना दिन भी रहेगी, राज्य में शासन-प्रशासन, विकास, सामाजिक समरसता की स्थिति बद से बदतर होती जायेगी । अतः महामहिम से हमारा सविनय अनुरोध है कि उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में और अन्य स्रोतों से महामहिम के पास पहुँच रहे ऐसे ही तथ्यों के आलोक में भी इस सरकार को अविलम्ब बर्खास्त करने की कार्रवाई करें तथा मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के काले कारनामों की उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्देश दें । वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त कर नये जनादेश के लिए आम जनता के पास जाना ही एक मात्र विकल्प बच गया है । हमें उम्मीद है कि महामहिम हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और इस भ्रष्ट, निकम्मी एवं विकास विरोधी सरकार से राज्य को मुक्ति दिलायेंगे ।

सादर,

भवदीय